राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईटः–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेलः–hrd.cce@gmail.comफोन न॰ 0141–2706736(O)

क्रमांकः एफ1( )विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21/05 दिनांकः 14.08.2023

प्राचार्य
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– ''विद्या सम्बल योजना'' के क्रियान्वती के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित **''विद्या संबल योजना''** के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.2023 के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 12.08.2023 को पैनल तैयार करने हेतु वरीयता के मापदण्ड तथा शपथ–पत्र एवं आमंत्रण का प्रारूप जारी कर दिये गये है।

इस क्रम मे आप द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न है।

उक्त योजना को अविलम्ब लागू किया जाना है। इस हेतु दिनांक 12.08.2023 को जारी प्रारूपों (आमंत्रण तथा शपथ–पत्र) के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है। उक्त प्रारूपों में संशोधन सक्षम स्तर से स्वीकृति पश्चात ही संभव है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.टी.सी.बैरवा)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ1( )विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वेब–साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
2. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.टी.सी.बैरवा)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय ....

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र दिनांक 12.08.2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 07.08.2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित **"विद्या संबल योजना"** के अन्तर्गत 24 सप्ताह अथवा 28.02.2024 जो भी पहले हो (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/– रूपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतय अस्थाई) के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक................................... तक आवेदन पत्र आमंत्रित है।